अतिक्रमण – अनधिकृत निर्माण

संख्याः 902/9–आ–1–98

प्रेषक,
श्री अतुल कुमार गुपता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरणए
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 23 मार्च,1998

विषय, विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटियों को आवंटित सम्पत्तियों का समय से कब्जा न दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे आपसे कहने का निर्देश हुआ है कि शासन को अनेक शिकातयें प्राप्त हो रही है कि आवंटियों द्वारा समय से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त भी उन्हें आवंटित भवन/भूखण्डों तथा व्यवसायिक सम्पत्तियों का कब्जा नहीं मिल पाता है जिसके लिए उन्हें विकास प्राधिकरणों के बारम्बार भाग–दौड़ करनी पड़ती है फिर भी उन्हें कब्जा नहीं मिल पा रहा है।

2. आप सहमत होंगे कि आवंटी इस आशा में कि उसे रहने के लिए आवास उपलब्ध हो जायेगा। विकास प्राधिकरणों में सम्पत्ति के आवंटन के लिए निबन्धन कराता है, वांछित धनराशि भी भवन/भू खण्डों के लिए जमा करता है, परन्तु ऐसा देखने में आ रहा है कि उन्हें समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त भी कब्जा नहीं मिल पा रहा है।

3. उपरोक्त समस्त कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41(1) के अन्तर्गत यह निदेशित किया जाता है कि ऐसे आवंटी जिनके द्वारा आवंटित परिसम्पत्ति की समस्त औपचारिकतायें नियमानुसार पूर्ण कर लिया गया है परन्तु फिर भी उन्हें प्राधिकरण की त्रुटि अथवा उदासीनता के कारण आवंटित सम्पत्ति का कब्जा नहीं दिया गया है, उन्हें औपचारिकतायें पूर्ण करने के एक माह के अन्दर यदि उन्हें कब्जा नहीं मिल पाता है तो एक माह के उपरान्त वासवविक कब्जा देने की तिथि से मध्य अवधि तक का सामान्य ब्याज देने का उत्तरदायित्व विकास प्राधिकरणों का होगा। आप सहमत होंगे कि विलम्ब के लिए प्राधिकरण के कर्मचारी/अधिकारी ही जिम्मेदार होते हैं। अतएव मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस प्रकार के आवंटित परिसम्पत्तियों का कब्जा देने में हुए विलम्ब के लिए यदि प्राधिकरण का कोई कार्मिक दोषी है एवं उक्तानुसार आबंटियों को कब्जा के रूप में भुगतान किया गया तो उस धनराशि की वसूली काउत्तरदायित्व निर्धारित कर कर्मचारी/अधिकरी से वसूल किया जाये। किसी कर्मचारी/अधिकारी से किस अनुपात में धनराशि की वसूली की जाये। इसका निर्धारण उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने विवेक से किया जायेगा।

4. मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि तद्नुसार निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्याः 902(1)/9–आ–1–98 तददिनांक

प्रतिलिपि अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

राम वृक्ष प्रसार
संयुक्त सचिव